Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2019 = 6.380, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, MAY-JUNE, 2020, VOL- 7/59

विधान मण्डलीय अभिजनः वर्तमान राजनीतिक संप्रभु वर्ग

गौरव यादव
शोध छात्र– राजनीति विज्ञान, जे0 एस0 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद

Abstract

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ विभिन्न धर्म,जातियाँ, एवं भाषाओं की विविधता व्याप्त हैं। भारतीय राजनीति ने ध्रुवीकरण, राजनीतिक सक्षमता, राजनीतिक प्रभाविता आदि अनेक संप्रत्ययों को जन्म दिया है।भारतीय संविधान द्वारा भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अन्तर्गत राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेने के लिये संविधान के अनुच्छेद 330 तथा अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्यों की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में इन लोगों के लिए लोकसभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। शुरू में यह व्यवस्था संविधान लागू होने से दस वर्ष तक के लिये थी परन्तु संविधान में संशोधन करके यह व्यवस्था अब 25 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दी गयी तथा अब भी निरन्तर है। इन सुविधाओं के परिणामस्वरूप इन जातियों के अभिजनों ने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तथा शैक्षिक प्रक्रियाओं में भाग लेना शुरू किया। इस प्रकार स्वतंत्र भारत में अनुसूचित जाति अभिजनों के विकास में प्रोत्साहन प्रदान किया। इन अनुसूचित जाति के अभिजनों ने अपने समुदाय की दशाओं को सुधारने के लिये अनेकों कार्य किये तथा आज तक निरन्तर प्रयत्नशील हैं। आज भारत में अनुसूचित जातियों के विधान मण्डलीय अभिजनों की भूमिका सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था में अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कानून– निर्माता होते हैं, साथ ही राष्ट्रीय लक्ष्यों के निर्माण, नीतियों के निर्धारण, धर्म निरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक मूल्यों की प्राप्ति तथा समुदायों के सामाजिक– आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं।

पारिभाषिक शब्दः *परम्परावादी समाज,राजनीतिक अभिजन, संप्रभु वर्ग, अनुसूचित जाति*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

विवेचना एवं निष्कर्षः

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ विभिन्न धर्म,जातियाँ, एवं भाषाओं की विविधता व्याप्त हैं। भारतीय राजनीति ने

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

ध्रुवीकरण, राजनीतिक सक्षमता, राजनीतिक प्रभाविता आदि अनेक संप्रत्ययों को जन्म दिया है। **''विधान मण्डलीय अभिजन'' संप्रभु वर्ग का एक नवीन आयाम है।** लोकतांत्रिक समाजों में किसी भी व्यक्ति अथवा समूह को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला ही व्यक्तियों की सहभागिता होती है। दुर्भाग्यवश परम्परावादी भारतीय समाज में सदियों से शोषित तथा पीड़ित भारत की अनुसूचित जातियों एवं अल्प संख्यक वर्गों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक विकास तथा उत्थान अभी भी आशा के अनुरूप नहीं हो सका है। इनके उत्थान में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका विधान मण्डलीय अभिजनों की है; जिसमें विधानसभा तथा विधान परिषद् दोनों ही सदनों के सदस्य सम्मिलित होते हैं। क्योंकि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण में नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विशेषकर विधान मण्डलीय नेता ही समाज के मुख्य अभिजन होते हैं। इन्हें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक परिवर्तन का शिल्पकार माना जाता है तथा आधुनिकीकरण को व्यावहारिक रूप देने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है; इस कारण भी इनका जनता में विशेष महत्व है।

भारतीय संविधान द्वारा भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अन्तर्गत राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेने के लिये संविधान के अनुच्छेद 330 तथा अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्यों की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में इन लोगों के लिए लोकसभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। शुरू में यह व्यवस्था संविधान लागू होने से दस वर्ष तक के लिये थी परन्तु संविधान में संशोधन करके यह व्यवस्था अब 25 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दी गयी तथा अब भी निरन्तर है। इन सुविधाओं के परिणामस्वरूप इन जातियों के अभिजनों ने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तथा शैक्षिक प्रक्रियाओं में भाग लेना शुरू किया। इस प्रकार स्वतंत्र भारत में अनुसूचित जाति अभिजनों के विकास में प्रोत्साहन प्रदान किया। इन अनुसूचित जाति के अभिजनों ने अपने समुदाय की दशाओं को सुधारने के लिये अनेकों कार्य किये तथा आज तक निरन्तर प्रयत्नशील हैं। आज भारत में अनुसूचित जातियों के विधान

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

मण्डलीय अभिजनों की भूमिका सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था में अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कानून– निर्माता होते हैं, साथ ही राष्ट्रीय लक्ष्यों के निर्माण, नीतियों के निर्धारण, धर्म निरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक मूल्यों की प्राप्ति तथा समुदायों के सामाजिक– आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही ये अभिजन ही लोकतांत्रिक मूल्यों की प्राप्ति व सामाजिक– आर्थिक विकास को ऊँचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिकेल्स[1] (2008:40), सैम्यूल[2] (2008:544) व सेलिंग मैन[3] (2006:177) आदि विद्वानों ने भी देश की राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण में इनके नेतृत्व को महत्वपूर्ण कारक माना है। क्योंकि विधायक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज के प्रमुख अभिजन होते हैं। विकासशील देशों में जहाँ राजनीतिक अभिजन और जनता के बीच की खाई चौड़ी होती है, को कम करने में इनकी भूमिका प्रमुख होती है, क्योंकि ये सेतु का कार्य करते हैं। ये अभिजन ही शासक और शासित, ग्रामीण और नगरीय, उच्च और निम्न वर्ग के बीच की दूरी को कम करते हैं बेल एवं हैंकाक[4] (2001:21–39), मिलर[5] (2010:239–267), लॉसवेल[6] (2012: 264–289), ये जनता की आकांक्षाओं और भावनाओं के प्रतिनिधि **ख्**लेन[7] (2010: 46–61), तथा राज्य की इच्छा के निर्णायक और अभिव्यक्ति के साधन होते हैं। कार्यपालिका भी अपने समस्त कार्यों के लिये इनके ही प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अतः इस नये नेतृत्व के उद्भव और उनके मूल्यों, विचारों तथा बदलते जीवन प्रतिमानों को जानना बहुत आवश्यक है।

राजनैतिक अभिजनों के प्रकार/वर्गीकरण :

राजनिति शास्त्री फिन्कल[13] तथा मैन्हीम (2001) ने अभिजनों को वैज्ञानिक, आर्थिक संगठनकर्ता, सांस्कृतिक एवं धार्मिक नेता के रूप में प्रकार्यात्मक समस्याओं (लक्ष्य प्राप्ति, अभियोजन, समन्वयात्मकता और तनाव प्रबन्ध) के आधार पर वर्गीकृत किया है यथा :–

(1) तात्कालिक राजनीतिक अभिजन **(लक्ष्य प्राप्ति के अभिजन)**

(2) आर्थिक कूटनीतिक, सैनिक, वैज्ञानिक अभिजन **(अभियोजन के अभिजन)**

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

(3) वे अभिजन जो नैतिक अधिकारों का प्रयोग करें जैसे पुजारी, दार्शनिक, शिक्षाविद अभिजन **(समन्वय के अभिजन)**

(4) वे अभिजन जो समाज को संवेगात्मक ढंगों से बनाये रखें जैसे– कलाकार, लेखक, अच्छे खिलाड़ी, हास्य कलाकार, सिने कलाकार आदि **(तनाव प्रबन्ध के अभिजन)**।

क्लार्क[14] (2006:50) ने अभिजनों को औद्योगीकरण की प्रक्रिया के आधार पर निम्न पाँच भागों में वर्गीकृत किया है–

(1) गतिशील अभिजन (2) मध्यम वर्गीय अभिजन

(3) क्रान्तिकारी अभिजन (4) प्रशासनिक अभिजन

(5) राजनैतिक अभिजन

समाजशास्त्री बॉटोमोर[15] (2006:107) ने अभिजन को निम्नांकित पाँच भागों में बांटा है–

(1)क्रान्तिकारी/बुद्धिवादी अभिजन (2) राष्ट्रवादी(राजनीतिकनेता) अभिजन (3) सैन्य अधिकारी/अभिजन (4) शासकीय अधिकारी/अभिजन (5) व्यवसायी अभिजन

भारतीय रानैतिक परिप्रेक्ष्य में अभिजनों को निम्न दो भागों में विभक्त किया जा सकता है :–

(क) <u>ग्रामीण अभिजन</u> :ग्रामीण अभिजनों को निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है–(1)सरपंच/ग्राम प्रधान (2)जातिगत/सामुदायिक नेता(3)पुरोहित/पंडित/मौलवी (परम्परागत/धर्मिक प्रभुत्व सम्पन्न व्यक्ति)

(ख) <u>नगरीय अभिजन</u> :नगरीय अभिजनों को निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है–

(1) राजनीतिक अभिजन

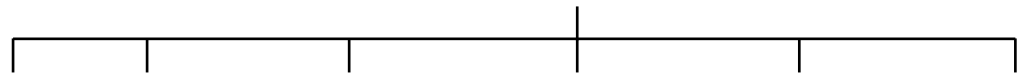

मंत्री राजनीतिक दल के नेता | कूटनीतिज्ञ एवं राजदूत | संसद सदस्य एवं विधायक | जिला परिषद के अध्यक्ष एवं सदस्यके सदस्य | नगरपालिकाओं और समितियों

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

(2) प्रशासनिक अभिजन

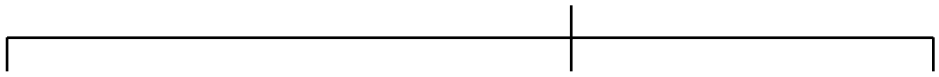

सामान्य अभिजन
1. न्यायाधीश (उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय)
2. सैन्य अधिकारी
3. भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्च अधिकारी
4. प्रशासकीय सेवा के राज्य के प्रशासनिक अधिकारी
5. अन्य जिला स्तरीय अधिकारी ।

विशेषज्ञ अभिजन
1. मुख्य अभियन्ता
2. निदेशक स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग इत्यादि

(3) व्यवसाय एवं व्यापारिक अभिजन

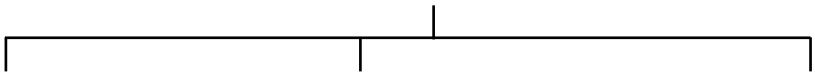

बड़े व्यापारी उच्च स्तरीय कानूनज्ञाता उच्च स्तरीय आर्थिक संगठन

(4) संघ/संगठनिक अभिजन

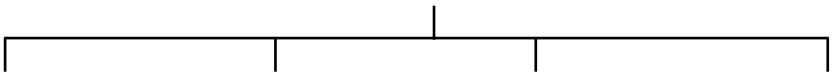

श्रमिक संगठनों के नेतापुंज संगठनों के नेता छात्र नेता व्यवसायिक संगठनों के नेता

(5) सांस्कृतिक अभिजन

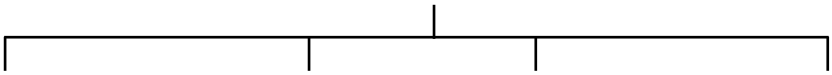

शैक्षणिक अभिजन वैज्ञानिकउच्च स्तर के पादरी, उच्च स्तर के पुजारी, मौलवी खिलाड़ी इत्यादि

(6) जनसंचार अभिजन

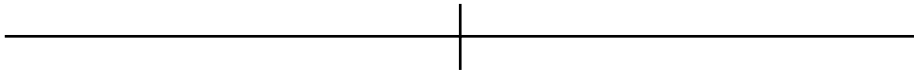

बड़े समाचार पत्रों के सम्पादकके पत्रकार एवं निदेशक, चलचित्र के अभिनेता

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

विल्फ्रेड परेटो (1935) ने अभिजनों को बनाने में व्यक्तिगत योग्यता, धार्मिक प्रभुसत्ता, **मोस्का** (1939) ने धन, सम्पत्ति तथा अनुवांशिकता तथा **मिलिलैण्ड**[16] (2010:38) ने शैक्षणिक योग्यता तथा धनसम्पत्ति को महत्वपूर्ण कारक (कारण) माना है।

राजनीतिक अभिजनों की निम्न विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं :–

1. राजनीतिक समाज में दो वर्गो में से यह सत्ता का धारक वर्ग होता है।
2. यह जनसाधारण से काफी श्रेष्ठ व उच्च स्थान पर होता है।
3. इसके हित आम लोगों से भिन्न व विरोधी होते हैं।
4. यह समाज का अल्पसंख्यक वर्ग होता है।
5. यह वर्ग चालकी और बल प्रयोग सत्ता में रहने के हर सम्भव प्रयास करता है।
6. यह वर्ग प्रत्येक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में मिलता है।
7. राजनीतिक अभिजन शासक व प्रतिपक्षी दो प्रकार के होते है।
8. इस वर्ग का राज्य की नीति–निर्माण व निर्णयकारी प्रक्रिया पर पूरा नियंत्रण रहता है।
9. यह वर्ग आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से शेष लोगों से अधिक श्रेष्ठ होता है।
10. यह वर्ग प्रभुत्व युक्त होने के बाद भी खुलापन रखता है।
11. राजनीतिक अभिजनों में परिवर्तन व हेर–फेर होता रहता है।
12. इनके पास बल– प्रयोग का वैध अधिकार भी होता है।

विधानमण्डलीय अभिजन विधायिका/ 'विधान मण्डल' के सदस्य होते हैं जिन्हें कि 'विधायक' कहा जाता है। विधान मण्डल में राज्यपाल और दो सदन सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा व्यापक रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक सदन होता है। विधान मण्डल के इस प्रथम सदन को 'विधान सभा' कहा जाताहै। दूसरे सदन को जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है तथा कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है (जो कभी भंग नहीं किया जा सकता) 'विधान परिषद' कहा जाता है। 'विधायक' जो विधान सभा तथा विधान परिषद दोनों के ही सदस्य हैं; संविधान के

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की आयु ३० वर्ष या इससे अधिक निर्धारित है। ये भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण न करने वाले तथा संसद और राज्य के विधान मण्डल द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले होते हैं। इसके अतिरिक्त इसके निर्वाचित सदस्य प्रदेश/राज्य के निवासी और यहाँ की विधान सभा के निर्वाचित क्षेत्र के निर्वाचक हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *Michell Robert (2008) Political Parties, The Free Press Glencoe, Illinois.*
2. *Samuel John (2008) Political Parties : A Behavioural Analysis, Rand Mc-Nally Press, Chicago.*
3. *Saligmann George (2006) The Study of Political Leadership in Political Behaviour, The Free Press Glencoe Inc. Holt, New York.*
4. *Mellor Norman (2010) Legislative Behaviour : Approaches to the study of Pol. Science, The Free Press Glencoe, New York.*
5. *Lasswell Harold D. (2002) Agenda for the study of the Political Elite, Amerinder Pub. Co., New Delhi.*
6. *Lane Allen (2008) Comparative Government, The Penguin Press (Pvt. Ltd.) London.*
7. *Pareto V. (2001) Circulation of Elites in Theories of Society, The Free Press, New York.*
8. *Colabrinsca M. (2002) Circulation of Elites in France, Lusene Primaries Press, Reunies.*
9. *David Arnold (2006) System Process & The Politics of Economic Development, Pol. Development & Social Change, John Wiley & Sons, (Pvt. Ltd.) New York.*
10. *Nadel S.F. (2008) The concept of Social Elites, International Social Science Bulletin.*
11. *Clark J. & Donlop T. (2006) Industrialism & Industrial Man, Harvard University Press Cambridge.*
12. *Bottomore T.B. (2005) State Politics in India, California Press*

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies